न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2013/00050 (225/2013) दायरा दिनांक : 30.10.2013

उनवान

विद्याबाई पत्नी गोरधन लाल, जाति ब्राहमण, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ललित किशोर नागर पैरोकार सरकार की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.07.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 32/2012/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम परोल्या, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान में भूमि खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 से वादी का वाद चलने योग्य एवं मेंन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी वाके ग्राम परोल्या तहसील छबडा की खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा किस्म खाल खद्दर पर अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का सन् 1964 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी/अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी पर काफी पैसा खर्च करके उसे काबिल काश्त बनाया है। क्योंकि उक्त आराजी अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 125 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा से लगी हुई थी जो स्ट्री आफ लैण्ड की परिभाषा में आती है। इस तथ्य पर गौर न कर के अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट व उसके पूर्वज उक्त आजारी का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जुर्माना राज जमा करवाते आ रहे है तथा धारा 91 एल.आर.ए. के तहत सरकारी तावान भरते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 30 वर्ष से अधिक समय का कब्जा अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित करने के बाद भी अपीलान्ट का वाद खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है। अपीलान्ट ने स्वयं व आस पास पडोसियों के बयान गवाह आत्माराम, लेखराज, गोरधन के बयान अधीनस्थ न्यायालय मे करवाये थे जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके अपीलांट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का 1964 से विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा पर 1964 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी हमारे खेत से लगवा आराजी है। पूर्व में कुछ आराजी जर्ये दावा खाते दर्ज हो चुकी है। इसके पास वाली आराजी हमने खसरा नं. 125 क्रय की है। खसरा नं. 126 पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2013 प्रकरण संख्या 32/2012 धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा व उनवान मुकदमा विद्याबाई बनाम राजस्थान सरकार के विरूद्ध दायर की गयी है। अपील के तथ्य सक्षेप में निम्न है –

1. अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम परोल्या, तहसील छबडा, जिला बारां में भूमि खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा किस्म खाल खदर है। जो जमाबंदी में राज्य सरकार के खाते दर्ज है। उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी 1964 से वादिया व उसके पूर्वज परिवार जन का कब्जा चला आ रहा है एवं 15–20 वर्षों से वादिया भी जुर्माना अदा करती चली आ रही है।

2. विवादग्रस्त खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा किस्म खाल खदर वादिया की आराजी खसरा नं. 125 के चारों तरफ अवस्थित है जिसे वादिया ने खर्चा करके कृषि योग्य बना दिया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 126 पर वादिया का कब्जा 1991 से है तथा 1964 से 1991 तक उसके जेठ शंकर लाल का कब्जा था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. वादिया ने लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये वाद प्रस्तुत किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय में वाद के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार ग्राम पारोलिया सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 01 खसरा नं. 126 रकबा 8.16 बीघा किस्म खाल खद्दर चारागाह हेतु दर्ज है। उक्त खसरा नं. 126 के 3 बीघा भूमि पर वादिया अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.09.2013 में विवादित भूमि की किस्म खाल खद्दर, चरागाह आर.टी.ए. की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से लम्बे समय से कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने से इंकार करते हुये वाद खारिज कर दिया।

अपीलार्थी ने ग्राम परोलिया के खाता संख्या 01 (खाता सरकार) में दर्ज खसरा नं. 126 रकबा 8.16 में किस्म खाल खद्दर (चारागाह हेतु) किस्म खाल खद्दर में से 3 बीघा पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने हेतु प्रस्तुत वाद के अधीनस्थ न्यायालय में खारिज होने के कारण अपील प्रस्तुत की है। वादग्रस्त भूमि आर.टी.ए. की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। नियमानुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 06.09.2022 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में जारी परिपत्र क्रमांक प.10 (3) राज–6/2001/पार्ट–5 दिनांक 26.06.2012 की निरन्तरता में यह निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कोई भी गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बांध अथवा पायतन या अन्य केचमेन्ट एरिया में किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन नियमन प्रतिबन्धित है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम परोल्या, तहसील छबडा, जिला बारां की आराजी खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा किस्म खाल खद्दर मुताबिक जमाबंदी राज्य सरकार के खाते दर्ज है। उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी 1964 से वादिया व उसके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है एवं 15–20 वर्षों से वादिया भी जुर्माना अदा करती चली आ रही है। अतः लम्बे समय से वादिया का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवायी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात अपने निर्णय दिनांक 30.03.2013 से वादिया का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया है कि मुताबिक नकल जमाबंदी ग्राम परोलिया संवत 2067–2070 खाता सं. 1 खसरा नं. 126/1 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा आराजी खादर (चारागाह हेतु) दर्ज होना पाया जाता है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2014–2017 एवं संवत 2027–2030 में चारा व पड़त, खाल दर्ज होना पाया जाता है। नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रदर्श 6 लगायत 14 से यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर वादिया अतिक्रमी है। रसीद जुर्माना प्रदर्श 15 लगायत 20 से साबित होता है कि वादिया द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसका जुर्माना वादिया से प्राप्त किया गया है। विवादित भूमि खाल खद्दर चारागाह हेतु है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर वादिया को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम परोलिया, तहसील छबडा, जिला बारां संवत 2067–2070 के अनुसार खाता संख्या 1 खसरा नं. 126/1 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा आराजी किस्म खाल खद्दर (चारागाह हेतु) दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि खाल खद्दर चारागाह हेतु दर्ज रिकार्ड होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रदान नहीं किये जा सकते। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत होने से अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

विद्याबाई पत्नी गोरधन लाल, जाति ब्राहमण, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2013 / 00050 (225 / 2013)**
मु.द.नं0 **32 / 2012**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.09.2013**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 06** सन् **2025**

श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ललित किशोर नागर** पैरोकार सरकार की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **04 माह 07 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)